बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञाप सं0 15/जी 1–07/02 –11 पटना, दिनांकः– 22.9.2009

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित द्वारा–वित्त विभाग

विषयः– ग्रामीण महाविद्यालय (बिरौली) सोसायटी, समस्तीपुर को गैर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में रू0 12,66,500=00 (बारह लाख छियासठ हजार पॉच सौ रूपये मात्र)सहायक अनुदान की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत

राज्य सरकार ने ग्रामीण प्रतिष्ठान बिरौली, समस्तीपुर में स्वीकृत पद पर विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य आवश्यक आकस्मिक व्यय के लिए गैर योजना मद में कुल 38,00,000/– (अड़तीस लाख रू0) मात्र का बजट उपबंध है।

अतः चालू वित्तीय वर्ष में संलग्न व्यय विवरणी के अनुसार 12,66,500=00 (बारह लाख छियासठ हजार पॉच सौ रूपये मात्र) राशि स्वीकृत करने की कृपा की है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में ग्रामीण प्रतिष्ठान विरौली समस्तीपुर को गैर योजना मद में स्वीकृत राशि कुल 80,00,000=00(अस्सी लाख रूपये मात्र) सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया था, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को विभागीय पत्रांक 15/जी 1– 07/2002 उच्च शिक्षा पत्रांक 547 दिनांक 08.05.09 द्वारा भेजा जा चुका है।

2. .इस राशि का व्यय का विकलन चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में मुख्यशीर्ष 2202" सामान्य शिक्षा उपमुख्य शीर्ष 03– विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष 800– आय व्यय, मांग संख्या 21– उपशीर्ष 0003– ग्रामीण महाविद्यालय, (बिरौली), सोसायटी, विपत्र कोड़ 2202038000003–विषय शीर्ष 3101 सहायक अनुदान के अन्तर्गत होगा।

3. सम्पूर्ण राशि लेखा पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना के निस्ताराधीन सौंपी जाती है तथा इन्हें स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकृत किया जाता है। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार विकास भवन, बिहार,पटना से करेंगे तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, ग्रामीण प्रतिष्ठान, बिरौली सोसाईटी समस्तीपुर को भुगतान करेंगे।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 5.10.07 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 8.11.07 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के पश्चात् आवंटन आदेश निर्गत होने के बाद राशि की निकासी की जायेगी।

निर्धारित करने के उपरान्त उनके वेतनादि का निर्धारण किया गया है।

5. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य अंकेक्षण वित्त विभाग को यह अधिकार होगा कि वे उनके लेखा का अंकेक्षण करें साथ ही राज्य की संचित निधि से जिस उद्देश्य के लिए राशि स्वीकृत है, उसका व्यय उसी मद में किया जाय तथा लेखा– जोखा अलग रखा जाय।

6. निदेशक,उच्च शिक्षा, बिहार पटना को सूचित कर दिया गया है।

7. यू0ओ0आर0 संख्या 567/एफ8 दि0 19.08.09 के द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(प्रकाश चन्द्र सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी

1. पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतनादि तथा अन्य स्थापना व्यय हेतु– 12,66,500=00

कुल राशि:– 12,66,500=00
(बारह लाख छियासठ हजार पाँच सौ रू0 मात्र)

ह0/–

(प्रकाश चन्द्र सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:–15/जी 1–07/02 – 11 पटना, दिनांक 22.9.09

प्रतिलिपि:– निदेशक,उच्चशिक्षा,बिहार,पटना/वित्त वि0 बजट शाखा–9 / आय–व्यय–सह–बजट पदाधिकारी,मानव संसाधन विकास विभाग/लेखा पदाधिकारी मानव संसाधन विकास विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन,पटना/निदेशक, ग्रामीण प्रतिष्ठान बिरोली, सोसाईटी, समस्तीपुर/लेखापाल एवं प्रशाखा पदाधिकारी–5,14एवं 15 उच्च शिक्षा ,बजट शाखा एवं कार्यालय सहायक, मानव संसाधन विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.IX.9

(प्रकाश चन्द्र सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग

18.9.09

D:\Ranjeet latter.doc